

वर्ष 2020-21 के लिए राजभाषा से संबंधी वार्षिक कार्यक्रम

संघ का राजकीय कार्य राजभाषा हिंदी में करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो निम्नांकित है:-

क्र.	कार्य विवरण	'ख' क्षेत्र के लिए लक्ष्य
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल, फॅक्स, बेतार संदेश, आदि सहित)	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%
2	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत द्विभाषी कागजात जारी करना	100%
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
3	हिंदी में टिप्पण	50%
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	60%
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	70%
6	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण	55%
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
11	वेबसाईट	100% (द्विभाषी)
12	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)
	(1) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)
	(2) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
13	(3) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	
	राजभाषा संबंधी बैठकें	
	(1) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें (कम से कम)

	(2) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
14	(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अन्वाद	100%

उपरोक्त के अलावा राजभाषा के प्रचार-प्रसार व प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित का अनुपालन भी किया जा रहा है:-

1. कार्यालय से प्रत्येक छमाही में कर्मियों को पारंगत प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है।
2. कार्यालय से प्रत्येक छमाही में कर्मियों को टंकण प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है।
3. कार्यालय से समय-समय पर कर्मियों को अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है।
4. कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड को सक्रिय किया गया है।
5. कार्यालय के सभी अनुभागों में राजभाषा शब्दावली का वितरण किया गया है।
6. कार्यालय की वेबसाईट को द्विभाषी किया गया है।
7. कार्यालय में हिन्दी पत्रिका पंचवटी का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाता है।
8. कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है जिनमें कर्मियों को

राजभाषा नीती की जानकारी के साथ कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है किंतु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढतापूर्वक किया जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मर्दों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि राजभाषा से संबंधित आदेशों का जानबूझकर अनुपालन न करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

वरिष्ठ लेखा
अधिकारी/राजभाषा